<u>प्रेस नोट दिनांक 25-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा थाना बांसी पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर सुनी गयी जनता की फरियाद।

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा आज दिनांक 25-03-2023 को थाना बांसी पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कर्मियो को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके । इस दौरान क्षेत्राधिकारी बांसी, तहसीलदार बांसी, प्रभारी निरीक्षक बांसी व थाना बांसी के अन्य अधि0/कर्म0गण मौजूद रहें ।

<u>प्रेस नोट दिनांक 25-03-2023 थाना समाधान दिवस जनपद सिद्धार्थनगर</u>

जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई कर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 25-03-2023 को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने सर्किल के थानों एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुना गया व उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को निर्देशित किया गया । भूमि विवाद से सम्बंधित प्रकरण को हल्का लेखपाल से समन्वय स्थापित कर निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

<u>प्रेस नोट दिनांक 25-03-2023 थाना मिश्रौलिया सिद्धार्थनगर</u>

थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी इटवा हरिश्चंद्र के निर्देशन में आज दिनांक 25/03/2023 को प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया मोतीलाल यादव के नेतृत्व में थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 23/2023 धारा 147/148/323/504/506/325/308 भादवि में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01- जितेंद्र पुत्र रामकुमार निवासी पटियापार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. उपनिरीक्षक दीपनरायन यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उप निरीक्षक हरिराम भारती सिंह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
03. कांस्टेबल सौरभ सिंह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
04. कांस्टेबल सुकेश थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>प्रेस नोट दिनांक 25.03.2023 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर</u>

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में सूर्य प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 25.03.2023 को थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0 सं0 50/2023 धारा-363,366 भादवि0 में 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- रामकुमार गौतम पुत्र भदई गौतम निवासी वीरपुरएहतमाली थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
02.आरक्षी सुनील कुमार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
03. होमगार्ड दुर्गेश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 25-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के तहत थानावार कराए गए वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 11614 लोगों द्वारा दिया गया अपना फीडबैक। सर्वाधिक अंक प्राप्त करके थाना शिवनगर डिड़ई प्रथम स्थान, थाना ढ़ेबरुआ दूसरे स्थान व थाना कपिलवस्तु तृतीय स्थान पर रहें।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा थानावार कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग/सर्वेक्षण के अन्तर्गत अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सफल पर्यवेक्षण में जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों के पुलिस की कार्य प्रणाली ट्विटर, डॉयरेक्ट पोल, पासपोर्ट/चरित्र सत्यापन, आईजीआरएस0 एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट/एनसीआर) के सम्बन्ध में माह फरवरी, 2023 की कार्यप्रणाली की वोटिंग में जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों को डायरेक्ट पोल पर 5727, ट्वीटर पोल पर 3732, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 पर 267, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र में 1579 व आई0जी0आर0एस0 में 309, व्यक्ति कुल 11614 व्यक्तियों द्वारा अपना-अपना फीड बैक दिया गया। जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों के कार्यों का थानावार मूल्यांकन कराया गया, जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करके थाना शिवनगर डिड़ई प्रथम स्थान, थाना ढ़ेबरुआ दूसरे स्थान व थाना कपिलवस्तु तृतीय स्थान पर रहें, इसी प्रकार क्रमशः 04. थाना लोटन, 05. डुमरियागंज, 06. थाना कठेला समय माता, 07. थाना त्रिलोकपुर, 08. थाना खेसरहा, 09 थाना गोल्हौरा, 10. थाना उसका बाजार, 11. थाना सिद्धार्थनगर, 12. थाना मिश्रौलिया, 13. मोहाना, 14. थाना पथरा बाजार 15. थाना जोगिया उदयपुर, 16. थाना इटवा थाना, 17. थाना भवानीगंज, 18. थाना बांसी, 19. थाना शोहरतगढ़, 20. महिला थाना 21. थाना चिल्हिया स्थान प्राप्त किये।

<u>प्रेस नोट- दिनांक 25-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से नकबजनी के दो मुकदमो में अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह 15 दिवस के साधारण कारावास व ₹1000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में अभियुक्त सुनील पासवान पुत्र पप्पू पासवान निवासी पीठनी बाजार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश सौरभ ओझा न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/जेएम-1 बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा जेल लोक अदालत में दिनांक 20-03-2023 को फौजदारी वाद सं0 1270/19 मु.अ.सं. 166/2019 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना सिद्धार्थनगर में 03 वर्ष 09 माह 15 दिवस के साधारण कारावास तथा ₹500 के अर्थदण्ड एवं फौजदारी वाद सं0 1269/19 मु.अ.सं.148/2019 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना सिद्धार्थनगर में 03 वर्ष 09 माह 15 दिवस के साधारण कारावास तथा ₹500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में संजय दूबे, अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी मनोज कुमार यादव, थाना सिद्धार्थनगर का सराहनीय योगदान रहा।